



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222536
CG-DL-E-17102020-222536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942

No. 3233]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3647(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 126 (अ) तारीख 9 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिला में आर.जी.टी.आई.एल (ताड़पल्लीगुडेम गांव) से तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिल्ला में आई.पी.एस-3 (गुमनूर गांव) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रान्सको लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 27 जनवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देना है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) पूर्णतया उत्तदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विसृद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : मुलुग			राज्य : तेलंगाना		
तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
मुलुग	मल्लमपल्ली	369	00	03	21
		746	00	07	80
		709	00	03	53
		914	00	03	30
		918	00	16	36
		928	00	35	67
		927	00	17	06
		934	00	01	05
		944	00	06	27
		953	00	05	69
		955	00	04	16
		952	00	01	61
		949	00	05	31
		1018	00	09	15
		1021	00	22	15
		1025	00	05	83

		1029	00	01	02
		1030	00	07	78
		1038	00	03	11
		1042	00	14	69
		1052	00	14	44
		1126	00	14	78
		1111	00	08	76
		1099	00	01	03
		1844	00	10	42
		1835	00	12	35
		1836	00	14	20
		1814	00	05	38
		1815	00	05	22
		1812	00	14	55
		1805	00	02	72
		1803	00	01	72
		1808	00	05	35
		1949	00	46	68
		1797	00	43	51

[फा-सं-एल-14014/133/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, 14th October, 2020

S.O. 3647(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.126 (E) dated the 9th Jan, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 09th Jan, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Telangana for transportation of Natural Gas from Mallavaram in the State of Andhra Pradesh to Bhilwara in the State of Rajasthan under Mallavaram - Bhopal- Bhilwara - Vijaipur pipeline by the GSPL India Transco Limited, Gandhinagar, Gujarat State.

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 27-01-2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Mulug			State : Telangana		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
Mulug	Mallampally	369	00	03	21
		746	00	07	80
		709	00	03	53
		914	00	03	30
		918	00	16	36
		928	00	35	67
		927	00	17	06
		934	00	01	05
		944	00	06	27
		953	00	05	69
		955	00	04	16
		952	00	01	61
		949	00	05	31
		1018	00	09	15
		1021	00	22	15
		1025	00	05	83
		1029	00	01	02
		1030	00	07	78

		1038	00	03	11
		1042	00	14	69
		1052	00	14	44
		1126	00	14	78
		1111	00	08	76
		1099	00	01	03
		1844	00	10	42
		1835	00	12	35
		1836	00	14	20
		1814	00	05	38
		1815	00	05	22
		1812	00	14	55
		1805	00	02	72
		1803	00	01	72
		1808	00	05	35
		1949	00	46	68
		1797	00	43	51

[F.No. L-14014/133/2019-GP-II]
RAJ KISHORE, Under Secy.